राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (677) आकाशि/नि.सं./14/297 दिनांकः– 12/10/2015

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2015–16 में **नवीन संकाय/विषय** संचालित करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित नवीन संकाय/विषय
लक्ष्मी बाई महिला महाविद्यालय, सरदारपुरा रोड़, मालपुरा जिला–टोंक	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर	**स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों सहित** कला संकाय में:–इतिहास व उर्दू, विज्ञान संकाय में:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, गणित। वाणिज्य संकायः– एबीएसटी, बिज0एड0, ईएएफएम

निजी महाविद्यालय नीति 2015–16 के अनुसार निर्धारित अवधि में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
   ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ के अनुमोदनार्थ संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
   स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   द. नियमानुसार समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती ।
   य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।
   र. भूमि का रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करवाने का 10/– स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा रूपान्तरण शुल्क जमा होने की रसीद।
   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
6. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी। भारत सरकार के AISHE सर्वे को भरने की भी जिम्मेदारी होगी।
7. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
8. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
9. बिन्दु सं0 1 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 30 दिवस में आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
10. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. वर्ष 2015–16 की एन.ओ.सी. विश्वविद्यालय के अध्यधीन होगी ।
13. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, टोंक।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

विनय कुमार 12/10/15
संयुक्त–निदेशक (नि0स)